



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग व मारपीट की घटना कारित करने वाले आरोपी गौरव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त गौरव पुत्र महक सिंह निवासी कासिमपुर जिवाना थाना रमाला जनपद द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग व मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 23/19 धारा 452/325/323/504/506 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससीएसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गौरव को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 15,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट


थाना बडौत

दिनांक 22.03.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 175/24 धारा 328/379/420/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किए गए रुपयों में से 10,000 रुपये व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 21.03.2024 को थाना बडौत पर वादी असलम पुत्र सद्दीक निवासी जिमानी करीमपुर थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त ईशाक पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी सोहराब गेट मेरठ थाना कोतवाली मेरठ जनपद मेरठ व फुरकान पुत्र फकीरा निवासी डासना गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 17.03.2024 को उसके साथ धोखाधड़ी व जादू टोना करके उसके 46,500 रुपये चुरा लिये। इसके बाद दिनांक 21.03.2024 को अभियुक्त ईशाक उसके व उसके परिजनों द्वारा पकडा गया तथा



अभियुक्त के कब्जे से चुराये हुए 10,000 रुपये बरामद हुए। वादी व उसके परिजनों द्वारा अभियुक्त को थाना बडौत लाया गया। थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार

किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 175/24 धारा 328/379/420/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ईशाक पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी सोहराब गेट मेरठ थाना कोतवाली मेरठ जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेन्डर बिना नम्बर प्लेट।
- चोरी किये हुये रूपयों में से 10,000/- रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-है0का0 125 धर्मवीर सिंह थाना बडौत।
- 2-कम्प्यूटर ऑपरेटर अनुज कुमार थाना बडौत।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 22.03.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 79/2024 धारा 147/148/149/307 /323/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2024 को वादी श्री सतपाल पुत्र मलखान निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.सोमपाल उर्फ आलू, 2.नीटू पुत्र महीपाल, 3.महीपाल पुत्र मलखान निवासीगण ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत व तीन अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके रिश्तेदार विशाल पुत्र धनप्रकाश, मोहित पुत्र महेन्द्र निवासी



ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत के साथ धारदार हथियार से मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया व जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 79/24 धारा 147/148/149/307/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 69/24 धारा 147/148/149/307/323/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीटू पुत्र महीपाल निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 विजय सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-का0 966 नरेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 22.03.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध पोनिया .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध पोनिया .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र कालू निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 65/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 853/12 धारा 272 भादवि व 60/72(2) आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 109/2013 धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 31/009 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 208/2008 धारा 457/380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पोनिया .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर राजपूत थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है0का0 490 आशीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 22.03.2024

थाना दोघट पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक आयशर केन्टर नं0 UP-14BT-8721, जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 27 पशु व 02 अवैध छुरी बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक आयशर केन्टर नं0 UP-14BT-8721, जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 27 पशु व 02 अवैध छुरी बरामद हुई हैं ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-पालाराम पुत्र कश्मीरचन्द्र निवासी हंसाकॉलोनी थाना सिटी जनपद फतेहाबाद हरियाणा।

2-सुभाष पुत्र ओमप्रकाश निवासी तीस बीबी थाना गोसिंगपुर जनपद श्रीगंगानगर राजस्थान।

बरामदगी का विवरण:-

- एक आयशर केन्टर नं0 UP-14BT-8721
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 27 पशु व 02 अवैध छुरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 105 नीतू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनांक- 21.03.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 50 पेटी (1200 पच्चे) अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक वैगनआर कार UP-14AX-1245 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 50 पेटी (1200 पच्चे) अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक वैगनआर कार UP-14AX-1245 बरामद हुई है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 74/2024 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी गढी सांपला जनपद रोहतक हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- 50 पेटी (1200 पच्चे) अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- तरकारी में प्रयुक्त एक वैगनआर कार UP-14AX-1245

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री नरेशचन्द यादव थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 45 अरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 442 मौ० आफाक थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 292 सिराज खॉन थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-का० 250 कोमल चौधरी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-का० 1008 मिथुन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 22.03.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 73/24 धारा 452/323/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2024 को थाना खेकडा पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.गौरव, 2.हनुमान पुत्रगण चेताराम, 3.चेतराम निवासीगण कांशीराम कॉलोनी करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर उसके व उसकी बहन के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 73/24 धारा 452/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं०

73/24 धारा 452/323/506 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गौरव पुत्र चेताराम निवासी काशीराम कॉलोनी करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-का0 851 पुष्पेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-का0 1035 मनोज पौनिया थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 21.03.2024

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-बिल्लू पुत्र जयपाल निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत।

2-रवि पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-रोहित पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

4-नरेश पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना बड़ौत पुलिस टीम ।
- 2-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।
- 3-थाना रमाला पुलिस टीम ।
- 4-थाना दोघट पुलिस टीम ।